



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2020—फालुन 9, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 28 फरवरी 2020

### शुद्धि—पत्र

क्र. 5(1)—2019—20—1426.— मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 78, दिनांक 25 फरवरी 2020 में  
प्रकाशित निविदा क्रमांक—5(1)—2019—20—1348 दिनांक 25 फरवरी 2020 में निम्नानुसार संशोधन किया  
जाता है :—

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित निविदा के प्रथम पृष्ठ पर अंकित विषय में “मध्यप्रदेश के 51  
जिलों (आपूर्ति क्षेत्रों) में सीलबन्द बोतलों में देशी मदिरा (स्पिरिट) की आपूर्ति के लिये निविदा सूचना” के स्थान पर  
“मध्यप्रदेश के 52 जिलों (आपूर्ति क्षेत्रों) में सीलबन्द बोतलों में देशी मदिरा (स्पिरिट) की आपूर्ति के लिये निविदा  
सूचना” पढ़ा जावे।

राजेश बहुगुणा, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश।